न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

(जीसीएमएस नं. 2022/33)

प्रकरण सख्या:— 02/2022(अपील)
दायर दिनांक:— 24/03/2022
निर्णय दिनांक:— 27/10/2025

अनवान

1. कान्ता पुत्री मिश्रीलाल पत्नी बाबूलाल जाति नट निवासी ग्राम कलालों की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द, हाल निवासी ग्राम कोटडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. भागु पिता मिश्रीलाल जाति नट निवासी ग्राम कलालो की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. तोपान पुत्री मिश्रीलाल पत्नी दिनेश जाति नट निवासी ग्राम कलालो की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
4. आशा पुत्री मिश्रीलाल जाति नट निवासी ग्राम कलालो की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

अपीलाण्टगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द्र पिता मिश्रीलाल जाति नट निवासी ग्राम कलालो की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द, हाल निवासी रातडीया का वडला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. लालाराम पिता मिश्रीलाल जाति नट निवासी ग्राम कलालो की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. सीता पत्नी मिश्रीलाल जाति नट निवासी ग्राम कलालो की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
4. सरपंच ग्राम पंचायत लसानी पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द।

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 05.02.2004 ग्राम कलालो कि आंती ग्राम पंचायत लसानी

: : निर्णय : :

अपीलाण्टगण ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 05.02.2004

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला-राजसमन्द (राज.)

ग्राम कलालो की आंती ग्राम पंचायत लसानी कि अपीलान्टणों के पिता मिश्रीलाल पिता गिरधारी जाति नट के खातेदारी हस्ब रसद जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के अनुसार भूमि ग्राम कलालो कि आंती पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ में खाता नम्बर 247 वर्तमान खसरा नम्बर 228, 229 क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड थी एवं उपरोक्त भूमि में से अपीलान्टगण का हिस्सा होकर भूमि का उपयोग–उपभोग भान्ति पूर्वक करते आ रहे है। अपीलान्ट के पिता मिश्रीलाल की मृत्यु होने से उनके वारिसान के नाम उनके पुत्रों प्रकाशचन्द, लालाराम व पत्नी सीता के नाम नामान्तरणकर खोल दिया एवं अपीलान्ट की पुत्रीया कान्ता, भागु, तोपान, आशा थी उनका नाम छोड कर केवल पुत्र व पत्नी के नाम पर दर्ज कर दिया गया चार पुत्रियों के नाम छोड दिये गये जिससे अपीलान्टगणों का नाम छोड दिया गया व भूमि दोनों पुत्रों प्रकाशचन्द्र, लालाराम व पत्नी सीता के नाम ही दर्ज हो गयी जबकि उनकी पुत्रिया अपीलान्टगण जिन्दा थी को छोड दिया गया। हमारे पिता मिश्रीलाल की मृत्यु का नामान्तरकरण संख्या 1076 खोलते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बिना जॉच किये मृतक की पुत्रिया जीवित होते हुए भी विरासत का नामामन्तरकरण केवल पुत्रों व पत्नी के नाम पर खोलने की गम्भीर लापवाही है। रेस्पोडेन्टगणो ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपीलान्टगणो के पिता की खातेदारी भूमि जो हमारे पिता की थी का नामान्तरकरण संख्या 1075 से दोनों पुत्रो प्रका ाचन्द्र , लालाराम व पत्नी सीता के नाम पर नामान्तरकरण खुलवा दिया था। जबकी हम पुत्रियां जिन्दा है। नामान्तरकरण ओथेरेटी ने नामान्तरकरण परित करते समय मृतक के वारिसान की जॉच नहीं कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया अपीलान्टगणों का सुचना नहीं दी जिससे उक्त नामान्तरकरण कानूनन अवैध एवं प्रभाव भुन्य हैं अपीलान्टगण को दिनांक 06.07.2021 को रिकॉर्ड की नकल लेने एवं बाद में कानूनी सलाह प्राप्त करने से जानकारी उत्पन हुई। अपीलान्ट की यह अपील उसके पिता की विरासत से भूमि में उसके हिस्से जमाबन्दी के अनुसार हिस्से को रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु पेश की गयी है। तथा अपील में अपीलान्टगणो को सूचित नहीं करने से अपीलान्टगणो की अपील मियाद अवधि से बाधित नहीं है। किन्तु अपीलान्ट यह अपील नामान्तरकरण पारित करने एवं उसके अपील हेतु मियाद की दिनांक 05.02.2004 से आज दिनांक पेश होने अपील तक की मियाद माफी चाहते हुए पेश की जा रही है। हमारे पिता

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

मिश्रीलाल की मृत्यु का नामान्तरकरण ओथेरेटी ने हम अपीलान्टगणो को कोई जानकारी नहीं दी। हमारे पीठ पिछे खुला नामान्तरकरण की कोई अपील की मियाद नहीं होती है, एवं नामान्तकरण प्रभावहीन होने से प्श्चातवर्ती नामान्तरकरण भी प्रभावहीन हो जाता है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर के पूर्व ग्राम कलालो की आंती के नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 05.02.2004 को निरस्त कर दिया जाकर उनके वारीसन रेस्पोडेन्ट व अपलान्टगणो है को उसके पिता की खातेदारी भूमी वर्तमान ग्राम कलाला की आंती व पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ में स्थित भूमि को उनके पिता के नाम पर जो भूमि दर्ज थी ग्राम कलालो कि आंती पुराने नम्बर 229 रक्बा 3 बीघा थी। जिसके नये सेटलमेन्ट में आराजी नम्बर 228 क्षेत्रफल 0.0100 व आरजी नम्बर 229 क्षेत्रफल 0.6400 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर थी नोर्मस के अनुसार अपीलान्टगणों का जो हिस्सा बनाता है। दर्ज रिकॉर्ड फरमाने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 03, 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मिश्रीलाल की मृत्यु होने के उपरांत तत्कालीन पटवारी हल्का ने मृतक मिश्रीलाल के विधिक वारिसान की जांच किये बिना पुत्र प्रकाशचन्द, लालाराम एवं पत्नी सीता के नाम भूमि दर्ज कर दी। जबकि मृतक मिश्रीलाल की पुत्रियां कान्ता, भागु, तोपान, आशा के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1075 द्वारा सम्पूर्ण जमीन प्रकाशचन्द्र, लालाराम पिता मिश्रीलाल, सीता पत्नी मिश्रीलाल के नाम दर्ज कर दी गई। अतः न्यायहित में अपीलाण्टगण का वादग्रस्त आराजीयात में विधिक अधिकार निहित होने से अपील स्वीकार फरमाई जावें।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि अपीलाण्टगण की पैतृक सम्पत्ति है और हिन्दु उत्तराधिकार

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला-राजसमन्द (राज.)

अधिनियम में प्रत्येक वारिसान को अपनी पैतृक सम्पत्ति के समान हक अधिकार निहित है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1075 निर्णय दिनांक 05.02.2004 को निर्णित करते समय राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 व नामान्तरकरण के संबंध में दिए गए विधिक प्रावधानों की पालना आपेक्षित नामान्तरकरण के संबंध में सम्बन्धित तस्दीककर्त्ता द्वारा नहीं की गई।

अतः अपील अपीलाण्टगण स्वीकार की जाकर ग्राम ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 05.02.2004 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक मिश्रीलाल पिता गिरधारी नट के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सो[illegible] R.A.S.)
जि[illegible] (रा.[illegible]) देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला-राजसमन्द (राज.)